



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125907,

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 9900/2025

संदीप

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : धर्म सिंह परमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.,

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. मामले को पुनरीक्षित सुनवाई में बुलाया गया। नोटिस तामील होने के बावजूद, प्रतिपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई भी इस अपील को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित नहीं हुआ।
2. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्म सिंह परमार, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए(2) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा थाना-रथ, जिला-हमीरपुर में धारा 118(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 238/2025 से उत्पन्न जमानत आवेदन संख्या 982/2025 (संदीप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, हमीरपुर की माननीय अदालत द्वारा दिनांक 01.08.2025 को पारित जमानत अस्वीकृति आदेश को अपास्त करने एवं अपीलकर्ता को उपरोक्त मामले में जतमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18.05.2025 को दोपहर लगभग 3:30 बजे, पुक्कन और संदीप मौके पर पहुंचे और सूचनादाता को जातिवादी गालियां देते हुए जबरन पैसे मांगने लगे। इसके बाद, उन्होंने सूचनादाता को पकड़ लिया और मोक्षधाम की ओर ले जाकर पैसे मांगने लगे। जब उसने इनकार किया, तो आरोपियों ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया और उसके कान काट दिए। एक कान जमीन पर गिर गया और दूसरे कान का थोड़ा सा हिस्सा गायब था। इसके बाद, आरोपियों ने उसे लात-घूंसे मारे और जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि घटना के समय सूचनादाता ने शराब पी रखी थी। उन्होंने यह भी बताया कि अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया चाकू सह-आरोपी पुक्कन के पास से बरामद किया गया था। यह भी बताया गया कि अपीलकर्ता और पीड़ित दोनों ही उस समय नशे की हालत में थे। अपीलकर्ता की एकमात्र भूमिका यह है कि उसने सूचनादाता को पकड़ा था, जबकि धारदार हथियार से चोट पहुंचाने का आरोप सह-आरोपी पर लगाया गया है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 29.05.2025 से जेल में बंद है।

6. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपील और जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि एक गंभीर अपराध किया गया है। उनका तर्क है कि सूचनादाता को पकड़ने की विशेष भूमिका अपीलकर्ता को सौंपी गई थी, जिससे अपराध करने में सहायता मिली। इसलिए, आरोपों की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए, अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता गणों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि धारदार हथियार से चोट पहुंचाने का आरोप सह-आरोपी पुक्कन पर लगाया गया है, जिसके पास से कथित चाकू भी बरामद किया गया है। घटना के समय अपीलकर्ता और सूचनादाता दोनों नशे की हालत में थे। अपीलकर्ता 29.05.2025 से जेल में है। आरोपों की प्रकृति, अपीलकर्ता की भूमिका, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य और उसके द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि अपीलकर्ता ने जमानत दिए जाने का मामला सिद्ध किया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपरोक्त मामले में अपीलकर्ता **संदीप** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर न्याय के हित में निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए।

i) अपीलकर्ता अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और पीड़ित/शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से नुकसान या परेशान नहीं करेगा।

ii) अपीलकर्ता न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा और किसी भी तरह से मुकदमे के निस्तारण में देरी नहीं करेगा।

iii) अपीलकर्ता यह वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

iv) अपीलकर्ता किसी भी प्रकार से जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यदि अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 बीएनएसएस/82 द.प्र.सं. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि अपीलकर्ता ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध धारा 209 बीएनएस/174-ए भा.द.सं. के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगी।

v) अपीलकर्ता को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 251 बीएनएसएस/313 द.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में अपीलकर्ता की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है और विचारण न्यायालय उसके खिलाफ धारा 269 बीएनएस/229-ए भा.द.सं. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

vi) विचारण न्यायालय अपीलकर्ता की रिहाई के बाद मुकदमे को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की संबंधित न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने और अपीलकर्ता को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. तदनुसार, अपील सफल होती है और उसे स्वीकार किया जाता है।

11. विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) अधिनियम, हमीरपुर द्वारा दिनांक 01.08.2025 को पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है।

(मदन पाल सिंह, न्यायमूर्ति)

5 जून, 2026

अकबर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।